

यूक्रेन में मार्शल लॉ की घोषणा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूक्रेन की संसद ने सीमावर्ती क्षेत्रों में 30 दिनों की अवधि के लिये मार्शल लॉ लागू करने हेतु राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको के अनुरोध के पक्ष में मतदान किया।

प्रमुख बिंदु

- यूक्रेन द्वारा मार्शल लॉ की घोषणा किये जाने के तुरंत बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादमीर पुतिन ने यूक्रेन को किसी भी 'लापरवाह कृत्य' करने के खिलाफ चेतावनी दी है। रूस द्वारा यूक्रेन के तीन नौसैनिक जहाजों को जब्त किये जाने के बाद यूक्रेन द्वारा प्रतिक्रियास्वरूप मार्शल लॉ की घोषणा की गई।
- कुछ दिनों पहले रूसी सेनाओं ने क्रीमिया के तट पर यूक्रेन के तीन जहाजों पर गोलाबारी की और तीनों पर कब्जा कर लिया, इस घटना के कारण पूर्व सोवियत पड़ोसियों के बीच अब तक का सबसे बड़ा तनाव पैदा हो गया है।
- यह घटना मॉस्को और यूक्रेन के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष और देश के पूर्व में रूस द्वारा अलगाववादियों को समर्थन दिये जाने के बाद से समुद्र में पहला बड़ा टकराव था।
- इस घटना ने बड़े पैमाने पर भय का वातावरण उत्पन्न कर दिया है और संयम बरतने के लिये अंतरराष्ट्रीय आह्वान को प्रेरित किया है। दोनों देशों के मध्य संघर्ष के कारण वर्ष 2014 से अब तक 10,000 से अधिक लोग मारे गए हैं।
- मार्शल लॉ यूक्रेनी अधिकारियों को सैन्य अनुभव रखने वाले नागरिकों को संगठित करने, मीडिया को नियंत्रित करने और प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक रैलियों को प्रतिबंधित करने की शक्ति देता है।
- रूसी अधिकारियों के अनुसार, जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल के साथ हुई एक फोन वार्तालाप में श्री पुतिन ने मार्शल लॉ के लागू होने पर 'गंभीर चिंता' व्यक्त की।
- रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि अगले वर्ष होने वाले चुनाव से पहले श्री पोरोशेंको के समर्थन को बढ़ाने और पश्चिमी देशों की सरकारों को रूस पर और प्रतिबंध लगाने के लिये राजी करने के उद्देश्य से यूक्रेन द्वारा एक उकसावे के रूप में इस टकराव की योजना बनाई गई थी।
- जहाजों को जब्त करने के एक दिन बाद रूसी राज्य टेलीविज़न ने रूस की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पकड़े गए नाविकों से प्रश्न किये जाने के कुछ फुटेज प्रसारित किये।
- पकड़े गए नाविकों में से एक को यह कहते सुना गया कि "कर्र जलडमरूमध्य में यूक्रेन के सशस्त्र जहाजों की कार्रवाई उकसाने वाली प्रकृति की है।"
- इस बीच रूसी-कब्जे वाले क्रीमिया में एक अदालत ने तीन यूक्रेनी नाविकों को दो महीने के लिये हरिसत में रखने का आदेश दिया।

स्रोत : द हिंदू